प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के संबंध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/1063/94/स्टा0नि0-2-2015-700(01)/2015 दिनांक 4 नवम्बर, 2015 व शासनादेश संख्या-28/2015/1312/94/स्टा0नि0-2-2015-700(01)/2015 दिनांक 19 नवम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने एवं जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिनांक 29.02.2016 की अवधि तक स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना लागू की गयी थी। उक्त योजना को दिनांक 31.03.2016 तक विस्तारित किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या-229/94-स्टा0नि0-2-2015-700(01)/2015 दिनांक 29.02.2016 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि इस योजना के अन्तर्गत स्टाम्प वाद का निस्तारण किये जाने हेतु पक्षकार द्वारा स्टाम्प की कमी व नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त अर्थ दण्ड के रूप में रू0 10/- की धनराशि जमा किये जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्टाम्प वाद को समाप्त करते हुए अंतिम आदेश पारित किये गए हैं, किन्तु उसके उपरान्त पक्षकार से स्टाम्प कमी की धनराशि जमा नहीं कराई गई है, जो उचित नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत पक्षकार द्वारा स्टाम्प वाद का समाधान किये जाने हेतु सहमत होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अंतरिम आदेश पारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाये, पक्षकार द्वारा स्टाम्प की कमी व नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त अर्थ दण्ड के रूप में रू0 10/- की धनराशि जमा किये जाने के पश्चात स्टाम्प वाद का समाधान करते हुए अंतिम आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में मुझे यह भी अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि स्टाम्प वादों की समाधान योजना के अन्तर्गत जो पक्षकार अपना वाद समाप्त करने हेतु इच्छुक नहीं है व आवेदन नहीं करते हैं, उन वादों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकार पर स्टाम्प की कमी व उस पर नियमानुसार देय ब्याज पर उचित अर्थ दण्ड अधिरोपित करके आर0सी0 जारी कर स्टाम्प वाद का निस्तारण किये जाने एवं आर0सी0 की धनराशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकाारियों की बहुधा अन्य प्रशासकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण वादों के समयबद्ध रूप से निस्तारण में कठिनाई होती है। अत: यह भी अनुरोध है कि जनपद के अधिकाधिक स्टाम्प वाद जनपद के सहायक आयुक्त, स्टाम्प को स्थानान्तरित करते हुए उनके द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

7/2016/संख्या-249(1)/94-स्टा०नि०-2-2016-700(01)/2015 तददिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त सी0सी0आर0ए0 को भी उपरोक्त से अवगत कराने का कष्ट करें।

2- समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in